

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

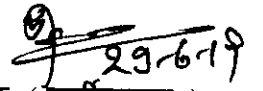
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1297 /2019 दिनांक 29.06.2019

श्री हेमन्त जानू (RJ0879), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) को दिनांक 01.07.2019 से 15.07.2019 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिनांक 30.06.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जानू की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, बून्दी इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

आज्ञा से

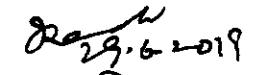

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/49/2015/ 5901

दिनांक : 29.6.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 988 दिनांक 25.06.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हेमन्त जानू (RJ0879), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) ।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा (बून्दी) ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 02, बून्दी ।


सहायक रजिस्ट्रार